

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषय: राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य सेक्टर से संचालित की जाने वाली "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में उक्तयमार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य सेक्टर से संचालित की जाने वाली "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" के क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 4/2016/ 1183 (1)/अडतीस-5-2016. तद्विनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पो० लि० लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ०प्र०, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
10. समस्त जिला विकास अधिकारी/ जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी०एन० त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त

नाम	राज्य ग्रामीण पेयजल योजना
उद्देश्य	प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराया जाना।
वित्तीय व्यवस्था	योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं/ कार्यों का चयन यथा सम्भव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा ताकि बजट में विवरण सहित समुचित व्यवस्था हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 94 के आलोक में परियोजनाओं/ कार्यों का चयन समयबद्ध ढंग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग ससमय सुनिश्चित हो सके।
योजना का आच्छादन	<p>योजना के अन्तर्गत निम्न मदों के लिए पूंजीगत/ राजस्व कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगी:-</p> <p>(पूंजीगत कार्य)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निवासित परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मानक के अनुसार स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पाइप पेयजल योजनाओं तथा निर्धारित मानकों के अनुसार नये हैण्डपम्पों/रिबोर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन। 2. गुणता प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक पेयजल शोधन संयंत्रों की स्थापना। 3. पेयजल स्रोत निरन्तरता हेतु जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य। 4. ग्रामीण पेयजल समस्या के समाधान हेतु अन्य कोई विशिष्ट कार्य जिसे शासन आवश्यक समझे। <p>(राजस्व मद)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पेयजल योजनाओं के अधिष्ठापन एवं उनके रख-रखाव हेतु समुदाय एवं ग्राम पंचायत से प्रदेश स्तर तक functionaries का क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण। 2. पेयजल के क्षेत्र में अभिनव तकनीक का प्रयोग , आर0 एण्ड डी 0 गतिविधियां , प्रचार-प्रसार गतिविधियां , विशेषज्ञ सेवार्यें प्राप्त करने (Hiring of services) इत्यादि।
नोडल एजेन्सी / कार्यों का चयन/ मूल्यांकन / परीक्षण / स्वीकृति	<ol style="list-style-type: none"> 1. राज्य स्तर पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नोडल एजेन्सी होगी। 2. योजनान्तर्गत कार्यों के चयन हेतु प्रस्ताव अधिशासी निदेशक , राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा। 3. कार्यों के प्रस्तावों / आगणनों का मूल्यांकन /परीक्षण शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं तत्समय प्रवृत्त अद्यतन शासनादेशों/ प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। 4. योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी एवं तत्समय प्रवृत्त अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था / प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। 5. कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी , ताकि जनमानस की

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	<p>अपेक्षानुसार कार्य सम्पन्न हो सके।</p> <p>6. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के समस्त कार्य इसी योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये जायेंगे। पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम से वित्त पोषित कोई भी कार्य/ परियोजना राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित नहीं किया जायेगा।</p> <p>7. योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन पेयजल कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तावों (पूँजी मद तथा राजस्व मद) का परीक्षण कर अन्य स्रोतों / कार्यक्रमों में उपलब्ध धनराशि से न प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि करायी जायेगी तथा पूँजी मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के सम्बन्ध में निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे:-</p> <p>(1) कार्य अन्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है।</p> <p>(2) कार्य के सम्बन्ध में संस्तुति।</p> <p>(3) आगणन के मूल्यांकन की स्थिति।</p> <p>(4) परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सृजन के उपरान्त रख-रखाव की वचनबद्धता।</p> <p>(5) संचालन व्यय को वहन किये जाने की पुष्टि।</p> <p>(6) योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना।</p> <p>(7) परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता।</p>
आगणनों की तकनीकी स्वीकृति	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/ अनुमानों पर यथाविधि सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
स्वीकृत धनराशि को रखे जाने एवं कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत कार्य/ परियोजना विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि आयुक्त , ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखी जायेगी। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार की गयी समय-सारणी एवं आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
कार्यों का आगणन	योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य के आगणन कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त गठित कराये जायेंगे , ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही पूर्ण औचित्य पाये जाने पर किसी कार्य के पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत किये जायेंगे।
आगणनों के मानक	योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के आगणन के मानक सामान्यतया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मानकों के अनुसार होंगे । यदि कोई कार्य/ योजना इसके अन्तर्गत आच्छादित नहीं होते हैं तो इस पर तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्राप्त संस्तुति/ आख्या पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
कार्यों की प्राथमिकता	योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व	इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता- नियंत्रण का कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराये जायेंगे।
परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण	योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्ति कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने / कमिश्निंग के उपरान्त तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार सम्बन्धित को

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	हस्तान्तरित की जायेगी।
परिसम्पत्ति का संचालन एवं अनुरक्षण	योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का संचालन एवं अनुरक्षण ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी एवं तत्समय प्रवृत्त संचालन एवं अनुरक्षण नीति/ शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय तथा सेन्टेज चार्ज	किसी कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों के अन्तर्गत देय सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्थाओं को नियमानुसार अनुमन्य सेन्टेज चार्ज से भिन्न किसी प्रकार का प्रशासनिक/ आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।
आडिट की व्यवस्था	योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित होगा।
अवशेष धनराशि यदि कोई हो	योजना के अन्तर्गत कार्य विशेष के लिये स्वीकृत की गई धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा किया जायेगा और उसकी सूचना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन , आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश , नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग को दी जायेगी।
कार्यों की गुणवत्ता/ मूल्यांकन	कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था , मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों का यथावश्यक मूल्यांकन कराया जायेगा।
मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत /क्रियान्वित कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक रिपोर्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त करके प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास , उत्तर प्रदेश एवं ग्राम्य विकास विभाग , 30प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
पारदर्शिता	योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रदर्शित किये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर सूचना प्रबन्धन तकनीक (एम 0आई0एस0) का प्रयोग किया जायेगा ताकि योजनान्तर्गत समस्त सूचनाएं जन सामान्य हेतु उपलब्ध रहें।
कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	शासन स्तर पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों/ निर्देशों के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वित्त विभाग तथा अन्य सम्बन्धितों को प्रेषित की जायेगी।
शिथिलीकरण	योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

.....

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।